शिक्षा विभाग, राजस्थान

पंचांगः 2016–2017

राजस्थान की प्रारम्भिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा के समस्त राजकीय, मान्यता प्राप्त गैर सरकारी/CBSE/CISCE से सम्बद्ध विद्यालयों/अनाथ बच्चों हेतु संचालित आवासीय विद्यालयों/विशेष प्रशिक्षण शिविरों एवं शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों के लिए सत्र 2016–2017 का यह शिविरा पंचांग प्रस्तुत है। इसके अनुसार ही सत्रपर्यन्त विद्यालयी कार्यक्रम, अवकाश, परीक्षा, खेलकूद प्रतियोगिता आदि का आयोजन अनिवार्य है। किसी विशेष अवसर अथवा कार्यक्रम पर यदि किसी संस्था प्रधान को कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता हो, तो वह परिवर्तन सम्बन्धी निवेदन अपने क्षेत्र के जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक/माध्यमिक) को प्रस्तुत करे । जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक/माध्यमिक) मांग के औचित्य की जांच करेंगे तथा उनकी अनुशंषा पर निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर की स्वीकृति के बाद ही संस्था प्रधान द्वारा परिवर्तन किया जा सकेगा।

सामान्य निर्देश :–

1. शिक्षण सत्रः 2016–17 दिनांक 01 मई, 2016 से आरम्भ है तथा सामान्य प्रवेश प्रक्रिया स्थानीय परीक्षा समाप्ति के तत्काल पश्चात दिनांक 26 अप्रेल, 2016 से आरम्भ हो चुकी है। कक्षा 8 व 10 की बोर्ड परीक्षाओं में प्रविष्ठ हुए विद्यार्थियों का अस्थाई प्रवेश बोर्ड परीक्षा के समाप्त होने के तत्काल पश्चात दिया जाकर दिनांक 1 अप्रेल से आगामी कक्षाओं का शिक्षण कार्य प्रारम्भ हो चुका है । ग्रीष्मावकाश उपरांत पुनः नियमित शिक्षण कार्य 20 जून, 2016 से आरम्भ है।
2. प्रवेश की अंतिम तिथि 15 जुलाई, 2016 रहेगी। (माध्यमिक कक्षाओं हेतु)
3. मध्यावधि अवकाश 22 अक्टूबर से 02 नवम्बर, 2016 तक रहेगा।
4. शीतकालीन अवकाश 24 दिसम्बर, 2016 से 07 जनवरी, 2017 तक रहेगा।
5. ग्रीष्मावकाश 10 मई, 2017 से 19 जून, 2017 तक रहेगा।
6. केन्द्र सरकार द्वारा समस्त राष्ट्र के लिए रेडियो/दूरदर्शन/समाचार पत्रों में घोषित अवकाश विद्यालयों में भी मान्य होंगे।
7. यदि किसी कारणवश रेडियो/दूरदर्शन/लिखित आदेश द्वारा राज्य में कोई सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाये, तो वह भी विद्यालयों में मान्य होगा।
8. यदि किसी वर्ग/कारण विशेष को आधार बनाकर या किसी विशेष दिन का सेक्शनल/रीजनल अवकाश/स्थानीय अवकाश सरकार द्वारा घोषित किया जाये तो वह अवकाश सभी विद्यालयों में लागू नहीं होगा।
9. शिविरा पंचांग एवं राजस्थान सरकार के पंचांग में उल्लेखित समान अवकाश की तिथि में कोई विसंगति हो तो ऐसी स्थिति में राजस्थान सरकार के पंचांग की तिथि को सही मानते हुए इस पंचांग में वैसा ही संशोधन माना जाये।
10. सत्रारम्भ एवं सत्रान्त की संस्था प्रधान वाक्पीठ का आयोजन शिविरा पचांग में निर्धारित तिथियों में ही करवाया जाना आवश्यक होगा। उक्त तिथियों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन निदेशक, प्रारम्भिक/ माध्यमिक शिक्षा की अनुमति बिना नहीं किया जा सकेगा

11. साप्ताहिक रूप से कक्षा 1 से 5 तक आइरन की पिंक गोली तथा कक्षा 6 से 12 के छात्र छात्राओं को आयरन फोलिक एसिड की नीली (ब्ल्यू) गोली मध्यान्ह भोजन उपरान्त दी जाये।

प्रवेश :—

1. कक्षा—1 में प्रवेश के समय निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के प्रावधानानुसार बालकों की आयु 6 वर्ष निर्धारित है।
2. राज्य सरकार प्रवेश प्रक्रिया हेतु कोई निश्चित तिथि का निर्धारण कर सकती है। फिर भी आर.टी.ई. अधिनियम 2009 के अनुसार बालक का विद्यालय में प्रवेश वर्ष पर्यन्त हो सकेगा।
3. राज्य कर्मचारी/माता—पिता/अभिभावक के स्थान परिवर्तन की स्थिति में स्थानान्तरण प्रमाण—पत्र के आधार पर विद्यार्थी को मध्य सत्र में प्रवेश दिया जा सकेगा।
4. यदि किसी परिस्थितिवश बोर्ड द्वारा रोके गये परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित किये जाते हैं तो विद्यार्थियों को परीक्षा परिणाम की घोषणा के सात दिवस के भीतर प्रवेश दिया जाए। प्रवेश के समय ही विद्यार्थियो को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाए।
5. सत्र 2015—16 में ड्रॉपआउट एवं अनामांकित बच्चों के लिए संचालित आवासीय/गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविरों के बालक—बालिकाओं को मुख्य धारा में जोड़ना सुनिश्चित करें। संस्था प्रधान प्रतिमाह इनकी ट्रेकिंग कर सूचना प्रेषित करें।
6. चाइल्ड ट्रेकिंग सर्वे में चिन्हित शेष रहे ड्रॉपआउट एवं अनामांकित बालक—बालिकाओं के माता—पिता/अभिभावकों से सम्पर्क कर उनका आयु अनुरूप कक्षा में प्रवेश कराना, उनके विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता का आकलन करना एवं आवश्यकतानुसार संघनित पाठ्यक्रम के माध्यम से विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
7. ड्रॉपआउट एवं अनामांकित विशेष आवश्यकता वाले बालक—बालिकाओं को उनकी आयु के अनुरूप कक्षा में नामांकन पश्चात, विद्यालय में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले बालक—बालिकाओं का फंक्शनल असेसमेन्ट करवाया जाकर, पात्र बच्चों को सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत निःशुल्क अंग—उपकरण उपलब्ध कराये जायेंगे एवं होमबेस्ड एज्युकेशन से जोड़े गये बच्चों को उनकी आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेश सुनिश्चित किया जायेगा।
8. शिक्षा से वंचित बालक—बालिकाएं जो अनामांकित श्रेणी के हैं तथा जिन्हें कक्षा 1 से विशेष प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाना है, उनके लिये विद्यालय में एक पृथक कक्षा का गठन कर उसे समय विभाग चक्र में प्रदर्शित कर कालांशवार शिक्षकों को उस कक्षा में भिजवाकर उनको संघनित पाठ्यक्रम के माध्यम से अध्ययन करवाना।
9. विद्यालयों में अध्ययनरत ऐसे विद्यार्थी, जिनके अभिभावक आजिविका कमाने हेतु पलायन करते हैं, इनकी पलायन अवधि के लिये माइग्रेटरी छात्रावास का संचालन किया जायेगा।
10. कस्तुरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय एवं मेवात बालिका आवासीय/वैकल्पिक शिक्षा प्रकोष्ठ के अन्तर्गत संचालित आवासीय विद्यालयो मे अनामांकित एवं ड्रापआउट बालिकाओं को प्रवेश दिलवाया जाएगा। नोडल प्रधानाध्यापकों की बैठक में चर्चा कर उनके सहयोग से परिक्षेत्र की पात्र बालिकाओं को उक्त विद्यालयो में प्रवेश करवाया जाएगा।
11. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हेतु परिषद कार्यालय के दिशा निर्देशों के अनुसार विद्यालय के कुल सीटों की 5 प्रतिशत सीट में विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं को प्रवेश दिया जावे।
12. ग्रीष्मावकाश एवं शीतकालीन अवकाश क दौरान विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षणों का आयोजन किया जायेगा।

प्रार्थना सभा :—

प्रार्थना सभा कार्यक्रम हेतु 30 मिनट का समय निर्धारित है, जिसमें की जाने वाली गतिविधियां — राष्ट्रगीत, प्रार्थना, योगाभ्यास, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, समाचार वाचन, प्रतिज्ञा, राष्ट्रगान आदि है।

प्रशिक्षित शिक्षक के द्वारा प्रतिदिन 10 मिनट ध्यान का अभ्यास कराया जाए और योगासन के माध्यम से एक आसन का अभ्यास पूरे सप्ताह तक करवाया जाए ।

विद्यालय प्रबन्धन :–

विद्यालय की व्यवस्था एवं प्रबन्धन, विद्यालय प्रबन्धन समिति (एस.एम.सी) द्वारा किया जायेगा। विद्यालय के सुचारु संचालन के लिए सर्व शिक्षा अभियान द्वारा निम्न सुविधाएं प्रदान की जायेंगी :–

1. एक मुश्त स्कूल ग्रान्ट, जिसमें दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं जैसे चॉक, डस्टर, स्टेशनरी, परीक्षा संबधित कार्य, दरी पट्टी आदि क्रय की जा सकती है। **इस राशि में से शौचालय/मूत्रालयों की साफ–सफाई हेतु प्रतिमाह 150 रू. का उपयोग कर इनका उपयुक्त रख–रखाव सुनिश्चित किया जाए (केवल शहरी क्षेत्र के विद्यालयो के लिये)। जिला परियोजना समन्वयक (एसएसए एवं आरएमएसए) द्वारा समस्त ग्रामीण विद्यालयो को रूपये 500 प्रतिमाह की दर से 5000 रूपये वार्षिक 10 माह हेतु शौचालय/मूत्रालय, पेयजल सुविधा के रख रखाव तथा मध्यान्ह भोजन से पूर्व साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था एवं स्वच्छता हेतु स्वच्छता अनुदान राशि का वितरण प्रतिवर्ष किया जा रहा है।**
2. प्रत्येक विद्यार्थी की शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वास्थ्य जॉच की जाए तथा रिकॉर्ड संधारित किया जावे।

कालांशवार समय विभाजन–

प्रतिदिन 8 कालांश में से कालांशवार समय विभाजन चक्र में 6 कालांश 40 मिनट एवं अंतिम 2 कालांश 35 मिनट के होंगे। प्रार्थना सभा एवं योगाभ्यास हेतु 30 मिनट का समय निर्धारित है। मध्यान्तर अवकाश 25 मिनट का होगा। विद्यार्थियों के शिक्षण हेतु कुल शाला समय 6 घंटे 5 मिनट होगा।

समय सारिणी–

एक पारी विद्यालयों हेतु समय सारिणी निम्नानुसार होगी :

क. सं.	विवरण	ग्रीष्मकाल में विद्यालय संचालन हेतु कालांश विभाजन	शीतकाल में विद्यालय संचालन हेतु कालांश विभाजन
1	समयावधि	1 अप्रेल से 30 सितम्बर	1 अक्टूबर से 31 मार्च
2	विद्यालय समय (संस्था प्रधान हेतु)	7:50 बजे से 2:10 बजे तक (कुल 6:20 घंटे)	9:20 बजे से 3:40 बजे तक (कुल 6:20 घंटे)
3	विद्यालय समय (शिक्षकों हेतु)	8:00 बजे से 2:10 बजे तक (कुल 6:10 घंटे)	9:30 बजे से 3:40 बजे तक (कुल 6:10 घंटे)
4	विद्यालय समय (विद्यार्थियों हेतु)	8:05 बजे से 2:10 बजे तक (कुल 6:05 घंटे)	9:35 बजे से 3:40 बजे तक (कुल 6:05 घंटे)
5	प्रार्थना सभा एवं योगाभ्यास	8:05 बजे से 8:35 बजे तक (30 मिनट)	9:35 बजे से 10:05 बजे तक (30 मिनट)
6	प्रथम कालांश	8:35 बजे से 9:15 बजे तक (40 मिनट)	10:05 बजे से 10:45 बजे तक (40मिनट)
7	द्वितीय कालांश	9:15 बजे से 9:55 बजे तक (40 मिनट)	10:45 बजे से 11:25 बजे तक (40 मिनट)
8	तृतीय कालांश	9:55 बजे से 10:35 बजे तक (40 मिनट)	11:25 बजे से 12:05 बजे तक (40 मिनट)
9	चतुर्थ कालांश	10:35 बजे से 11:15 बजे तक (40 मिनट)	12:05 बजे से 12:45 बजे तक (40 मिनट)
10	मध्यान्तर	11:15 बजे से 11:40 बजे तक (25 मिनट)	12:45 बजे से 01:10 बजे तक (25 मिनट)
11	पंचम कालांश	11:40 बजे से 12:20 बजे तक (40 मिनट)	01:10 बजे से 01:50 बजे तक (40 मिनट)
12	षष्ठम कालांश	12:20 बजे से 01:00 बजे तक (40 मिनट)	01:50 बजे से 02:30 बजे तक (40 मिनट)

13	सप्तम कालांश	01:00 बजे से 01:35 बजे तक (35 मिनट)	02:30 बजे से 03:05 बजे तक (35 मिनट)
14	अष्टम कालांश	01:35 बजे से 02:10 बजे तक (35 मिनट)	03:05 बजे से 03.40 बजे तक (35 मिनट)

नोट– शैक्षिक गुणवत्ता के लिए मुख्य विषयों के लिए शिक्षण का कार्य यथासंभव प्रथम छः कालांश में निर्धारित किया जाए। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए सहशैक्षिक गतिविधियों यथा–खेलकूद, वाद–विवाद प्रतियोगिता, भाषण, निबन्ध–लेखन इत्यादि पर विशेष ध्यान दिया जाए।

1. जहाँ तक संभव हो, समस्त विद्यालय एक पारी में चलाए जाएंगे। जो विद्यालय वर्तमान में दो पारी में चल रहे हैं तथा विद्यालय की परिस्थितिवश आगामी सत्र में भी दो पारी/ आंशिक दो पारी में संचालन आवश्यक है, उनके संस्था प्रधान औचित्यपूर्ण प्रस्ताव संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक/ माध्यमिक) को प्रस्तुत करेंगे तथा जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक/ माध्यमिक) परीक्षणोपरांत स्पष्ट अनुशंसा सहित जिले के समेकित प्रस्ताव मंडल उपनिदेशक को 15 जुलाई, 2016 तक प्रस्तुत करेंगे तथा मंडल उपनिदेशक मंडल के समेकित प्रस्तावों को 31 जुलाई, 2016 तक निदेशालय (प्रारम्भिक/ माध्यमिक) को प्रेषित करेंगे। संबंधित मंडल उपनिदेशक निदेशालय(प्रारम्भिक/माध्यमिक) से स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही विद्यालय को दो पारी में चलाने की स्वीकृति प्रदान करेंगे।

2. **दो पारी में संचालित विद्यालयों का समय :–**

क्र. सं.	अवधि	विद्यालय संचालन का समय
1.	1 अप्रेल से 30 सितम्बर तक	प्रातः 7.00 से सांय 6.00 बजे तक (प्रत्येक पारी 5.30 घंटे)
2.	1 अक्टूबर से 31 मार्च तक	प्रातः 7.30 से सांय 5.30 बजे तक (प्रत्येक पारी 5.00 घंटे)

3. दो पारी विद्यालय (माध्यमिक/उच्च माध्यमिक) के संस्था प्रधान का समय प्रातः 10.00 से सांय 5.00 बजे तक रहेगा। वे अपने स्तर पर स्वैच्छा से इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे।
4. समस्त संस्था प्रधान विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम के अनुसार छात्र/छात्राओं को शिक्षण का लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से अनिवार्यतः विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम सुनवाने की व्यवस्था करेंगे। यह कार्यक्रम 1 जुलाई, 2016 से मार्च , 2017 तक स्थानीय वार्षिक परीक्षा आरम्भ होने के पूर्व तक दोपहर 2.40 बजे से 3.00 बजे तक कार्यक्रमानुसार प्रत्येक विद्यालयी कार्य दिवस को प्रसारित किया जायेगा।
5. राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा प्रत्येक कक्षा हेतु पुस्तकालय कालांश का निर्धारण किया गया है। यह सुनिश्चित किया जाए की प्रत्येक विद्यार्थी पुस्तकालय की सुविधा से लाभन्वित हो, अतः रोटेशन के आधार पर प्रति सप्ताह प्रत्येक कक्षा हेतु पुस्तकालय कालांश का निर्धारण किया जावे।
6. राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के भवनों में संचालित राजकीय माध्यमिक विद्यालय/माध्यमिक कक्षाएं एवं राजकीय प्राथमिक विद्यालय/प्राथमिक कक्षाएं निम्नांकित व्यवस्थानुसार संचालित की जाए :–

1.	उच्च माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 1 से 12)	(दो पारी)	प्रथम पारी कक्षा 9 से 12 द्वितीय पारी कक्षा 1 से 8
2.	उच्च माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 6 से 12)	(दो पारी)	प्रथम पारी कक्षा 9 से 12 द्वितीय पारी कक्षा 6 से 8
3.	उच्च माध्यमिक विद्यालय	(दो पारी)	प्रथम पारी कक्षा 11 से 12

	(कक्षा 9 से 12)		द्वितीय पारी कक्षा 9 से 10
4.	माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 1 से 10)	(दो पारी)	प्रथम पारी कक्षा 6 से 10 द्वितीय पारी कक्षा 1 से 5
5.	माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 6 से 10)	(दो पारी)	प्रथम पारी कक्षा 9 से 10 द्वितीय पारी कक्षा 6 से 8

यदि एक ही शाला परिसर में दो विद्यालय संचालित हो तथा दो पारी में संचालन की स्वीकृति प्राप्त हो, तो माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रथम पारी में तथा प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय द्वितीय पारी में संचालित होंगे। जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक/माध्यमिक अपने स्तर पर इस व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। समन्वित विद्यालय, जो दो या दो अधिक परिसर में संचालित हैं, में समान स्तर की समस्त कक्षाएं एक ही समय में (समान पारी में) संचालित की जाएंगी।

सहशैक्षिक गतिविधियां :–

1. समस्त सहशैक्षिक गतिविधियों का आयोजन विभागीय निर्देशों के अनुरूप किया जाए।
2. सभी राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ''चाईल्ड राईट्स क्लब, वन एवं पर्यावरण क्लब, विज्ञान क्लब एवं रोड सेफ्टी क्लब'' की स्थापना अनिवार्य रूप से की जाए तथा इनसे संबंधित गतिविधियों का संचालन आवश्यक रूप से किया जाए।
3. विद्यालय में प्रत्येक शनिवार को बाल सभा का आयोजन किया जाए। बाल सभा में बच्चों को बालसंरक्षण से संबंधित मुद्दों पर बाल चलचित्र, चित्रकला प्रतियोगिता, प्रस्तुतिकरण आदि के माध्यम से उनमें बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण के संबंध में जागरूकता उत्पन्न की जाए। इसी प्रकार बाल सभा एवं उत्सव आयोजन के अवसर पर स्कूल द्वारा स्थानीय क्षेत्र के सम्मानित व्यक्तियों, जो उसी विद्यालय से पढ़कर महत्वपूर्ण पदों पर पदस्थापित है, को बुलाकर उनसे संबोधन कराया जाए। विद्यालय में बाल सभाओं व उत्सवों के आयोजन का रिकॉर्ड भी अनिवार्य रूप से संधारित किया जाए। विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं को सहशैक्षिक गतिविधियों मे सम्मिलित किया जाये।
4. शनिवारीय कार्यक्रम के अन्तर्गत उपर्युक्तानुसार बाल सभा आयोजन हेतु प्रत्येक शनिवार को समस्त आठ कालांश में से 5–5 मिनट कम करते हुए अंतिम कालांश पश्चात् बाल सभा का आयोजन किया जाना चाहिए , जिसमें निम्नांकित विवरणानुसार कार्यक्रम को भी सम्मिलित किया जाना सुनिश्चित किया जाए :–

प्रथम शनिवार	किसी महापुरूष के जीवन पर प्रेरक प्रसंग की जानकारी
द्वितीय शनिवार	शिक्षाप्रद प्रेरक कहानियों का वाचन
तृतीय शनिवार	राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक समाचारों की समीक्षा एवं किसी महापुरूष अथवा स्थानीय संत – महात्मा का उद्बोधन
चतुर्थ शनिवार	सद् साहित्य, महाकाव्यों पर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का आयोजन
पंचम शनिवार	प्रेरक नाट्य का मंचन और विद्यार्थियों द्वारा राष्ट्र भक्ति गीत गायन (माह में पाँचवा शनिवार होने पर)

उपर्युक्त निर्देशित कार्यक्रम को आवश्यकतानुसार बाल सभा से पृथक् रूप से प्रार्थना सभा पश्चात् शून्य कालांश में आयोजित किए जाने के विकल्प पर भी विचार किया जा सकता है।

5. सभी विद्यालय वार्षिक उत्सव 30 नवम्बर, 2016 तक मनाएंगे। विद्यालयों को अपनी प्रतियोगिताएं/एसयूपीडब्ल्यू शिविर/वार्षिक उत्सव सहित अन्य गतिविधियां यथा–उत्कृष्ट उपलब्धि प्रदान करने वाले संस्था प्रधान/शिक्षक एवं विद्यार्थियों को पुरस्कार इत्यादि इससे पूर्व समयावधि में समाप्त करनी होगी। यदि अपरिहार्य परिस्थितियों में 30 नवम्बर, 2016 तक वार्षिक उत्सव नहीं मनाया जा सके, तो सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर बाद में भी मनाया जा सकता है।

इसके बाद उच्चतम कक्षाओं के संक्षिप्त विदाई समारोह ही आयोजित किए जा सकते हैं।

6. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान द्वारा संचालित विद्यालय आधारित मूल्याकंन योजना के अन्तर्गत कक्षा 9 एवं 10 के लिए विद्यालय में संचालित साहित्यिक एवं सांस्कृतिक प्रवृत्तियों में से एक प्रवृत्ति में प्रत्येक विद्यार्थी को भाग लेना अनिवार्य होगा तथा स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास हेतु सुविधानुसार आयोजित प्रवृतियों में से प्रत्येक विद्यार्थी को कम से कम दो प्रवृत्तियों में भाग लेना अनिवार्य होगा।
7. समस्त राजकीय विद्यालयों में अध्यापक – अभिभावक परिषद् की बैठक सत्र में चार बार जुलाई, सितम्बर, दिसम्बर एवं मार्च माह में अमावस्या तिथि (यथासम्भव परख/परीक्षा समाप्ति पश्चात्)को आयोजित की जाएगी । इसी प्रकार समस्त विद्यालयों मे विद्यालय प्रबन्धन समिति (एसएमसी) की कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रतिमाह अमावस्या के दिन आयोजित की जायेगी। सर्व शिक्षा अभियान सामुदायिक गतिशीलता प्रकोष्ठ के प्लान के अनुसार एसएमसी की पांच बैठकों को समुदाय जागृति दिवस के रूप में अंतिम चार कालांश के रूप में मनाया जाये। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में संचालित विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (एसडीएमसी) की कार्यकारिणी समिति की बैठक यथासंभव अमावस्या के दिन आयोजित की जाएगी। यदि अमावस्या के दिन विद्यालय में अवकाश हो, तो इनका आयोजन अगले कार्य दिवस पर किया जाएगा।
8. विद्यालय प्रबंधन समिति के दो दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण माह अगस्त से अक्टूबर के दौरान नोडल विद्यालय स्तर पर आयोजित करवाये जाएंगे। 11 नवम्बर 2016 को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस एवं बाल समारोह सभी राजकीय विद्यालयों में आयोजित किये जाएं

शिक्षण तंत्र का प्रबोधन एवं प्रबन्धन :–

1. एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली के अन्तर्गत 30 सितम्बर के आधार पर जिले के राजकीय/केन्द्रीय/निजी आदि समस्त विद्यालयों, जिनमें कक्षा 1–12 तक के विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, शैक्षिक नियोजन की दृष्टि से उनकी विभिन्न सूचनाए, यथा विद्यार्थियों/शिक्षकों/विद्यालयों की श्रेणीवार संख्या आदि संकलित की जावे। सभी शिक्षक/संस्था प्रधान यू–डाईस सूचना संकलन प्रपत्र की समय पर पूर्ति सुनिश्चित करें।
2. कल्प कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित विद्यालयों में कम्प्यूटर लैब का रखरखाव विद्यालय को सर्व शिक्षा अभियान से उपलब्ध कराई जा रही स्कूल फेसिलेटी ग्राण्ट/मैन्टीनेन्स ग्राण्ट से विद्यालय द्वारा करवाया जावे एवं लैब को सुरक्षित रखते हुए विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों हेतु प्रति सप्ताह अधिकतम दो–दो कालांश प्रति कक्षा लगवायी जावे एवं विद्यालय में उपलब्ध ई–कन्टेन्ट (विज्ञान, गणित एवं अंग्रेजी) से सम्बलन किया जावे।

उत्सव एवं अवकाश :–

1. प्रत्येक माह में अंकित उत्सव अनिवार्यतः मनाये जाएं।
2. उत्सव के दिन रविवार/स्वीकृत अवकाश हो, तो उसे एक दिन पहले/बाद में मनाया जाए। उत्सव के दिन आठों कालांश में शिक्षण कार्य करवाया जाए। उत्सव आयोजन हेतु प्रत्येक कालांश में से 5–5 मिनट अवधि घटाकर आठवें कालांश के पश्चात् शेष रहे समय में उत्सव मनाया जाए।
3. 15 अगस्त तथा 26 जनवरी को पूर्ण अवकाश होते हुए भी उत्सव मनाया जाना अनिवार्य है। शिक्षकों, कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों की स्वयं के विद्यालय में उपस्थिति अनिवार्य है।
4. मध्यावधि अवकाश, शीतकालीन अवकाश तथा ग्रीष्मावकाश में विद्यालयों के मंत्रालयिक कर्मचारी विद्यालय में राजपत्रित अवकाश को छोड़कर अन्य समस्त कार्य दिवसों में विद्यालय समय में नियमित रूप से शाला में उपस्थित रहेंगे।

5. प्रत्येक संस्था प्रधान इस पंचांग में निर्दिष्ट अवकाशों के अतिरिक्त सत्र में दो दिवसों का अवकाश घोषित कर सकते हैं, जिनमें से एक मध्यावधि अवकाश से पहले एवं दूसरा मध्यावधि अवकाश के बाद किया जावे। संस्था प्रधान इसकी सूचना 31 जुलाई, 2016 से पूर्व नियन्त्रण अधिकारी को भेजें। अवकाश हेतु दिवसों का चयन करते समय यह ध्यान रखा जावे कि महत्वपूर्ण विद्यालयी कार्यक्रम अप्रभावित रहें।
6. जिला कलक्टर द्वारा घोषित अवकाश सम्बन्धित जिले के विद्यालय में मान्य होंगे।

मूल्यांकन एवं परीक्षा :–

1. समस्त कक्षाओं की परख, अर्द्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षा एवं पूरक परीक्षाएं (कक्षा 10 एवं 12 को छोड़कर) इस पंचांग के अनुसार सम्पन्न की जाए तथा परीक्षा परिणामों की घोषणा तथा विद्यार्थियों को प्रगति पत्रों का वितरण 29 अप्रेल, 2017 (शनिवार) को अनिवार्य रूप से कर दिया जाए।
2. परख अवधि में शाला समय से पूर्व विद्यार्थियों को अगले दिवस परख की तैयारी हेतु छोड़ा जा सकता है, लेकिन कर्मचारी पूरे समय तक उपस्थित रहेंगे।
3. सभी स्तर के विद्यालयों में अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा के लिए क्रमशः एक तथा दो दिवसों का परीक्षा तैयारी अवकाश रहेगा। इन दिनों में विद्यालय खुलेंगे और अध्यापक एवं मंत्रालयिक कर्मचारी परीक्षा के अभिलेख तथा व्यवस्था संबंधित कार्य पूर्ण करेंगे। इस प्रकार का अवकाश रविवार अथवा अन्य राजपत्रित अवकाश छोड़कर किया जाएगा।
4. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान द्वारा आयोज्य कक्षा 10 एवं 12 की परीक्षा में प्रविष्ट होने वाले विद्यार्थियों हेतु 14 दिवस का परीक्षा पूर्व तैयारी अवकाश रहेगा। उक्त अवधि में विद्यार्थियों हेतु आवश्यकतानुसार विशेष कक्षाओं का आयोजन किया जाए।
5. एसआईक्यूई/सीसीई संचालित विद्यालयों में पारम्परिक प्रक्रिया से मूल्यांकन न होकर सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया से ही मूल्यांकन किया जाएगा।
6. विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं के नियमित मूल्यांकन प्रक्रिया के संबंध में राजस्थान सरकार, स्कूल शिक्षा विभाग, प्रारंभिक शिक्षा (आयोजना) अनुभाग के परिपत्र क्रमांक प.14 (3) प्रशि/आयो/2014 जयपुर दिनांक 27.10.2014 की पालना की जाये।

पूरक परीक्षा :–

माध्यमिक शिक्षा के अधीन कक्षा 9 एवं 11 की पूरक परीक्षाओं का आयोजन 6 से 8 मई, 2017 तक किया जाए। परीक्षा परिणाम 09 मई, 2017 को घोषित कर प्रगति पत्र वितरण कर दिये जाएं।

....

शिविरा पंचांग : जुलाई, 2016

रविवार	31	3	10	17	24
सोमवार		4	11	18	25
मंगलवार		5	12	19	26
बुधवार		6	13	20	27
गुरूवार		7	14	21	28
शुक्रवार	1	8	15	22	29
शनिवार	2	9	16	23	30
कार्य दिवस 25		रविवार 05	अवकाश 01	उत्सव 03	

1से 7 जुलाई	आधार रेखा आकलन/पदस्थापन (बेसलाइन) (SIQE / CCE संचालित विद्यालयों में)
6 जुलाई	ईदुल फितर (अवकाश चन्द्र दर्शनानुसार)
11 जुलाई	विश्व जनसंख्या दिवस (उत्सव) (SIERT)
15 जुलाई	1.SDMC की कार्यकारिणी समिति में अनुमोदित कार्ययोजना के अनुरूप विद्यार्थी कोष/विकास कोष के माध्यम से सत्रपर्यन्त किए जाने वाले कार्यों हेतु आवश्यक लेखांकन प्रक्रिया पूर्ण करवाना। 2.विश्व युवा कौशल दिवस का आयोजन–विद्यालय स्तरीय (RMSA)
19 जुलाई	गुरू पूर्णिमा (उत्सव)
22 से 23 जुलाई	सत्रारम्भ की संस्था प्रधान वाक्पीठ (प्रा./उ.प्रा./मा./उ.मा.विद्यालय) का आयोजन
23 जुलाई	लोकमान्य बालगंगाधर तिलक जयन्ती (उत्सव)
28 जुलाई	जिला स्तरीय विज्ञान सेमिनार प्रतियोगिता का आयोजन (SIERT)
नोट :–	1. विद्यालयों द्वारा वर्षा आरम्भ होते ही वृक्षारोपण का कार्य करना। 2. 15 जुलाई से पूर्व नामांकन क्षमतानुसार प्रत्येक केजीबीवी में नामांकन पूर्ण करना तथा आवश्यता होने पर मोटिवेशन कैम्पों का आयोजन करना।(SSA)

शिविरा पंचांग : अगस्त, 2016

रविवार		7	14	21	28
सोमवार	1	8	15	22	29
मंगलवार	2	9	16	23	30
बुधवार	3	10	17	24	31
गुरूवार	4	11	18	25	
शुक्रवार	5	12	19	26	
शनिवार	6	13	20	27	
कार्य दिवस 25	रविवार 04		अवकाश 02		उत्सव 03

2 अगस्त (अमावस्या)	समुदाय जागृति दिवस
2 से 3 अगस्त	विद्यालय स्तरीय कला उत्सव का आयोजन (RMSA)
9 से 10 अगस्त	जिला स्तरीय ''जीवन कौशल विकास'' बाल मेला का आयोजन (उच्च प्राथमिक कक्षाओं हेतु) (SIERT)
11–13 अगस्त	प्रथम परख का आयोजन
15 अगस्त से पूर्व	केजीबीवी बालिकाओं को समस्त प्रकार की आधारभूत वार्षिक सामग्री का वितरण करना। (SSA)
15 अगस्त	1.स्वतन्त्रता दिवस (उत्सव अनिवार्य – अवकाश) 2.SDMC की कार्यकारिणी समिति में अनुमोदित कार्ययोजना के अनुरूप विद्यार्थी कोष/विकास कोष के माध्यम से सत्र पर्यन्त किए जाने वाले कार्यों हेतु आवश्यक निविदा कार्यवाही सम्पन्न करना।
17 अगस्त से पूर्व	विद्यालय स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय समूह की विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन
18 अगस्त	रक्षा बन्धन (अवकाश) एवं संस्कृत दिवस (उत्सव)
19 से 20 अगस्त	जिला स्तरीय कला उत्सव का आयोजन (RMSA)
22 से 23 अगस्त	जिला स्तरीय नेहरू हॉकी प्रतियोगिता– सब जूनियर (15 वर्ष छात्र) का आयोजन।
25 अगस्त	जन्माष्टमी (अवकाश–उत्सव)
27 से 29 अगस्त	राज्य स्तरीय नेहरू हॉकी प्रतियोगिता – सब जूनियर (15 वर्ष छात्र) का आयोजन।
29 अगस्त	ध्यानचन्द जयन्ती पर विद्यालयों द्वारा खेलकूद गतिविधियों का आयोजन करना
29 से 30 अगस्त	जिला स्तरीय केजीबीवी खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन (SSA)
30 अगस्त	राज्य स्तरीय विज्ञान सेमिनार प्रतियोगिता का आयोजन (SIERT)
31 अगस्त	1.श्रेष्ठ राजकीय विद्यालय पुरस्कार–2016 के लिए राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–प्रथम) को आवेदन करना। 2.SDMC की कार्यकारिणी समिति में अनुमोदित कार्ययोजना के अनुरूप विद्यार्थी कोष/विकास कोष के माध्यम से सत्र पर्यन्त किए जाने वाले कार्यों हेतु निविदा कार्यवाही उपरांत क्रयादेश/कार्यादेश जारी करना। 3. SDMC सदस्यों का प्रशिक्षण (RMSA)

शिविरा पंचांग : सितम्बर, 2016

रविवार		4	11	18	25
सोमवार		5	12	19	26
मंगलवार		6	13	20	27
बुधवार		7	14	21	28
गुरूवार	1	8	15	22	29
शुक्रवार	2	9	16	23	30
शनिवार	3	10	17	24	
कार्य दिवस 23	रविवार 04		अवकाश 03	उत्सव 05	

1 सितम्बर (अमावस्या)	समुदाय जागृति दिवस
1 से 5 सितम्बर	प्रथम समूह की जिला स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन (अधिकतम 4 दिन)
5 सितम्बर	शिक्षक दिवस (उत्सव), राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन, राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान के अन्तर्गत शिक्षक दिवस पर झण्डियों की बिक्री का शुभाराम्भ
5 से 9 सितम्बर	द्वितीय समूह की जिला स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन (अधिकतम 4 दिन)
8 सितम्बर	विश्व साक्षरता दिवस (उत्सव)
9 से 10 सितम्बर	जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन (शिक्षकों के लिए अवकाश)
`12 सितम्बर	रामदेव जयन्ती/तेजा दशमी (अवकाश–उत्सव), ईदुल जुहा (अवकाश चन्द्र दर्शनानुसार)
14 सितम्बर	हिन्दी दिवस (उत्सव)
14 से 15 सितम्बर	जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन (RMSA)
14 से 17 सितम्बर	प्राथमिक विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता (ब्लॉक स्तरीय)
14 से 19 सितम्बर	प्रथम समूह की राज्य स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन
22 से 24 सितम्बर	प्राथमिक विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता (जिला स्तरीय)
22 से 27 सितम्बर	द्वितीय समूह की राज्य स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन
23 सितम्बर	किशोर जागृति दिवस (उत्सव) (SIERT)
24 सितम्बर	राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस (जिन विद्यालयों में यह योजना संचालित है)
28 से 30 सितम्बर	1. जिला स्तरीय "विज्ञान, गणित एवं पर्यावरण प्रदर्शनी तथा जनसंख्या शिक्षा मेला" का आयोजन। (SIERT) 2. जिला स्तरीय "रोल प्ले एवं लोक नृत्य प्रतियोगिता" का आयोजन।(SIERT)
30 सितम्बर	1. राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान के अन्तर्गत झंडियों की बिक्री से प्राप्त राशि का बैंक ड्राफ्ट सचिव, राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के नाम से बनाकर प्रेषित करना एवं श्रेष्ठ राजकीय विद्यालय पुरस्कार–2016 के प्रस्तावों का मूल्यांकन कर जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–प्रथम) द्वारा मण्डल अधिकारी को प्रेषित करना। 2. SDMC की कार्यकारिणी समिति में अनुमोदित कार्ययोजना के अनुरूप विद्यार्थी कोष/विकास कोष के माध्यम से किए जाने वाले कार्य/क्रय कार्यवाही पूर्ण करना।

नोट– 1. माध्यामिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा विद्यार्थियों के लिए सृजनात्मक प्रतियोगिता का ब्लॉक स्तरीय आयोजन।

2. प्रथम योगात्मक आकलन का आयोजन (सितम्बर के प्रथम सप्ताह में) (SIQE /CCE संचालित विद्यालयों में)

शिविरा पंचांग : अक्टूबर, 2016

रविवार	30	2	9	16	23
सोमवार	31	3	10	17	24
मंगलवार		4	11	18	25
बुधवार		5	12	19	26
गुरूवार		6	13	20	27
शुक्रवार		7	14	21	28
शनिवार	1	8	15	22	29
कार्य दिवस 13	रविवार 05		अवकाश 13		उत्सव 02

1 अक्टूबर	नवरात्र स्थापना (अवकाश) **विद्यालय समय परिवर्तन –** 1. एक पारी विद्यालय – विद्यार्थियों हेतु प्रातः 09.35 से 3.40 बजे तक। (शिक्षकों हेतु प्रातः 9.30 से 3.40 बजे तक, संस्था प्रधान हेतु प्रातः 9.20 से 3.40 बजे तक) 2.दो पारी विद्यालय – प्रातः 07 से सायं 05 बजे तक (प्रत्येक पारी 5.00 घंटे)
2 अक्टूबर	गांधी जयंती व शास्त्री जयंती (उत्सव),
3 से 6 अक्टूबर	तृतीय समूह की जिला स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन
7 से 10 अक्टूबर	द्वितीय परख
9 अक्टूबर	दुर्गाष्टमी (अवकाश)
11 अक्टूबर	विजयादशमी (अवकाश)
12 अक्टूबर	मोहर्रम (अवकाश–चन्द्र दर्शनानुसार)
14 से 16 अक्टूबर	संभाग स्तरीय केजीबीवी खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन करना
14 से 19 अक्टूबर	तृतीय समूह की राज्य स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन
15 अक्टूबर	विश्व हाथ धुलाई दिवस का विद्यालयों में आयोजन
20से 21 अक्टूबर	राज्यस्तरीय शैक्षिक सम्मेलन
22 अक्टूबर से 2 नवम्बर	मध्यावधि अवकाश
24 अक्टूबर	संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस (उत्सव)
24 से 26 अक्टूबर	1.जिला स्तरीय ''जीवन कौशल विकास मेला'' आयोजन –माध्यमिक कक्षाओं हेतु (RMSA) 2. राज्य स्तरीय कला उत्सव का आयोजन (RMSA)
30 अक्टूबर	दीपावली अवकाश
31 अक्टूबर	1. गोवर्धन पूजा (अवकाश) 2. इन्दिरा गांधी पुण्य तिथि (संकल्प दिवस) 3. श्रेष्ठ राजकीय विद्यालय पुरस्कार 2016 के प्रस्तावों की समीक्षा कर मण्डल अधिकारी द्वारा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को भेजना। 4. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा शिक्षकों के व्यावसायिक कौशल उन्नयन की जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन।

शिविरा पंचांग : नवम्बर, 2016

रविवार		6	13	20	27
सोमवार		7	14	21	28
मंगलवार	1	8	15	22	29
बुधवार	2	9	16	23	30
गुरूवार	3	10	17	24	
शुक्रवार	4	11	18	25	
शनिवार	5	12	19	26	
कार्य दिवस 23	रविवार 04		अवकाश 03	उत्सव 04	

1 नवम्बर	भैयादूज अवकाश
9 से 10 नवम्बर	राज्य स्तरीय ''रोल प्ले एवं लोक नृत्य प्रतियोगिता'' का आयोजन (SIERT)
11 नवम्बर	राष्ट्रीय शिक्षा दिवस (उत्सव) एवं कालिदास जयन्ती (उत्सव)
14 नवम्बर	बाल दिवस (उत्सव), गुरू नानक जयन्ती (अवकाश–उत्सव)
18से 19 नवम्बर	तहसील स्तरीय शिक्षक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन
19 से 25 नवम्बर	कौमी एकता सप्ताह का आयोजन
20 नवम्बर	''नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप'' परीक्षा का आयोजन। (SIERT)
23 से 24 नवम्बर	राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन (RMSA)
25 से 26 नवम्बर	जिला स्तरीय शिक्षक खेलकूद प्रतियोगिता
28–30 नवम्बर	राज्य स्तरीय केजीबीवी खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन करना (SSA)
28 नवम्बर से 1 दिसम्बर	राज्य स्तरीय ''विज्ञान, गणित एवं पर्यावरण प्रदर्शनी तथा जनसंख्या शिक्षा मेला'' का आयोजन।(SIERT)
29 नवम्बर (अमावस्या)	समुदाय जागृति दिवस

नोट–

1. द्वितीय योगात्मक आकलन का आयोजन (नवम्बर के द्वितीय सप्ताह में) (SIQE /CCE संचालित विद्यालयों में)
2. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन :–
   I. राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा
   II. राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा
   III राज्य विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा

शिविरा पंचांग : दिसम्बर, 2016

रविवार		4	11	18	25
सोमवार		5	12	19	26
मंगलवार		6	13	20	27
बुधवार		7	14	21	28
गुरूवार	1	8	15	22	29
शुक्रवार	2	9	16	23	30
शनिवार	3	10	17	24	31
कार्य दिवस 19	रविवार 4		अवकाश 08	उत्सव 02	

1 दिसम्बर	विश्व एड्स दिवस (SIERT), विश्व एकता दिवस (उत्सव)।
03 दिसम्बर	विश्व विकलांगता दिवस का आयोजन (समावेशित शिक्षा के उन्नयन हेतु)
08 – 09 दिसम्बर	राज्य स्तरीय मंत्रालयिक कर्मचारी खेलकूद प्रतियोगिता हेतु जिला स्तर पर चयन
10 दिसम्बर	मानव अधिकार दिवस (उत्सव)
10–23 दिसम्बर	अर्द्ध वार्षिक परीक्षा का आयोजन
13 दिसम्बर	बारावफात (अवकाश–चन्द्र दर्शनानुसार)
14 से 21 दिसम्बर	राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण सप्ताह का आयोजन
15 से 16 दिसम्बर	राज्य स्तरीय मंत्रालयिक कर्मचारी खेलकूद प्रतियोगिता हेतु मण्डल स्तर पर चयन व दल गठन।
19–25 दिसम्बर	राज्य स्तरीय मंत्रालयिक कर्मचारी खेलकूद प्रतियोगिता हेतु मण्डल स्तर पर प्रशिक्षण शिविरो का आयोजन।
24 दिसम्बर से 07 जनवरी	शीतकालीन अवकाश (25 दिसम्बर को क्रिसमस डे), राज्य कर्मचारियों के हितकारी निधि के वार्षिक अंशदान को दिसम्बर के वेतन से निर्धारित दर पर कटौती की कार्यवाही करना ।
24 से 26 दिसम्बर	राज्य स्तरीय शिक्षक खेलकूद प्रतियोगिता हेतु प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन
28 से 30 दिसम्बर	राज्य स्तरीय शिक्षक खेलकूद प्रतियोगिता।
27से 30 दिसम्बर	राज्य स्तरीय मंत्रालयिक कर्मचारी खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन।

नोटः–

1. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा विद्यार्थियों के व्यक्तित्व उन्नयन एवं कौशल विकास शिविर का आयोजन (शीतकालीन अवकाश के दौरान)
2. 10 दिसम्बर से पूर्व केजीबीवी बालिकाओं को आधारभूत वार्षिक सामग्री का वितरण करना (गर्म कपड़े/स्टेशनरी सहित)

शिविरा पंचांग : जनवरी, 2017

रविवार	1	8	15	22	29
सोमवार	2	9	16	23	30
मंगलवार	3	10	17	24	31
बुधवार	4	11	18	25	
गुरूवार	5	12	19	26	
शुक्रवार	6	13	20	27	
शनिवार	7	14	21	28	
कार्य दिवस 20	रविवार 05		अवकाश 06	उत्सव 05	

01 से 07 जनवरी	शीतकालीन अवकाश
05 जनवरी	गुरू गोविन्द सिंह जयन्ती (अवकाश–उत्सव)
12 जनवरी	1.स्वामी विवेकानन्द जयन्ती (राष्ट्रीय युवा दिवस–उत्सव), केरियर डे का आयोजन (माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालय) 2.विद्यालय स्तरीय / जिला स्तरीय व्यावसायिक शिक्षा कौशल विकास प्रतियोगिता (RMSA)
14 जनवरी	मकर सक्रान्ति (उत्सव)
15 से 31 जनवरी	केजीबीवी में शैक्षिक किशोरी मेलों का आयोजन करना।
16 से 18 जनवरी	राज्य स्तरीय ''जीवन कौशल विकास'' बाल मेला का आयोजन (उच्च प्राथमिक कक्षाओं हेतु) (SIERT)
23 जनवरी	सुभाष चन्द्र बोस जयन्ती, देश प्रेम दिवस (उत्सव)
26 जनवरी	गणतंत्र दिवस (उत्सव अनिवार्य – अवकाश)
27 जनवरी (अमावस्या)	समुदाय जागृति दिवस
30 जनवरी	शहीद दिवस (प्रातः 11.00 बजे दो मिनट का मौन)

नोट–

1. माध्यामिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा विद्यार्थियों के लिए सृजनात्मक प्रतियोगिता का जिला स्तरीय आयोजन ।
2. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा शिक्षकों के व्यावसायिक कौशल उन्नयन की राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन।
3. तृतीय योगात्मक आकलन का आयोजन (जनवरी के तृतीय सप्ताह में) (SIQE /CCE संचालित विद्यालयों में)

शिविरा पंचांग : फरवरी, 2017

रविवार		5	12	19	26
सोमवार		6	13	20	27
मंगलवार		7	14	21	28
बुधवार	1	8	15	22	
गुरूवार	2	9	16	23	
शुक्रवार	3	10	17	24	
शनिवार	4	11	18	25	
कार्य दिवस 23	रविवार 04		अवकाश 01	उत्सव 04	

1 फरवरी	बसन्त पंचमी/सरस्वती जयन्ती (उत्सव), गार्गी पुरस्कार समारोह, बालिका दिवस आयोजन।
9 से 11 फरवरी	तृतीय परख का आयोजन
10 फरवरी	राष्ट्रीय डी–वर्मिंग दिवस पर सभी छात्र छात्राओं को मध्यान्ह भोजन उपरान्त डी–वर्मिंग दवा का वितरण (एलबेन्डाजोल गोली) (SSA)
15 फरवरी	डी–वर्मिंग मॉप अप डे – 10 फरवरी को वंचित छात्र–छात्राओं को डी–वर्मिंग दवा का वितरण (SSA)
17 से 18 फरवरी	सत्रान्त की संस्था प्रधान वाक्पीठ (प्रावि/उप्रावि/मावि/उमावि) का आयोजन
21 फरवरी	स्वामी दयानन्द जयन्ती (उत्सव)
24 फरवरी	महा शिवरात्रि (अवकाश–उत्सव)
27 फरवरी	समुदाय जागृति दिवस
28 फरवरी	राष्ट्रीय विज्ञान दिवस (उत्सव)
नोट :–	1. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा आयोज्य कक्षा 10 एवं 12 की परीक्षा में प्रविष्ट होने वाले विद्यार्थियों हेतु 14 दिवस का परीक्षा पूर्व तैयारी अवकाश रहेगा। 2. 26 फरवरी 2017 को अमावस्या के दिन अवकाश होने के कारण समुदाय जागृति दिवस अगले कार्य दिवस 27 फरवरी को आयोजित किया जायेगा।

शिविरा पंचांग : मार्च, 2017

रविवार		5	12	19	26
सोमवार		6	13	20	27
मंगलवार		7	14	21	28
बुधवार	1	8	15	22	29
गुरूवार	2	9	16	23	30
शुक्रवार	3	10	17	24	31
शनिवार	4	11	18	25	
कार्य दिवस 25	रविवार 04		अवकाश 02	उत्सव 03	

12 मार्च 13 मार्च	होलिका दहन (अवकाश) धुलण्डी (अवकाश)
15 मार्च	विश्व उपभोक्ता दिवस (उत्सव)
29 मार्च	चेटीचण्ड (अवकाश–उत्सव)
30 मार्च	राजस्थान दिवस (उत्सव)

नोट :–चतुर्थ योगात्मक आकलन का आयोजन (मार्च के चतुर्थ सप्ताह में)(SIQE /CCE संचालित विद्यालयों में)

शिविरा पंचांग : अप्रैल, 2017

रविवार	30	2	9	16	23
सोमवार		3	10	17	24
मंगलवार		4	11	18	25
बुधवार		5	12	19	26
गुरूवार		6	13	20	27
शुक्रवार		7	14	21	28
शनिवार	1	8	15	22	29
कार्य दिवस 23	रविवार 05		अवकाश 02	उत्सव 03	

01 अप्रैल	विद्यालय समय परिवर्तन – 1.एक पारी विद्यालय – विद्यार्थियों हेतु प्रातः 08.05 से 02.10 बजे तक। (शिक्षकों हेतु प्रातः 8 बजे से 2.10 बजे तक, संस्था प्रधान हेतु प्रातः7.50 से 2.10 बजे तक) । 2.दो पारी विद्यालय – प्रातः 07 से सायं 06 बजे तक (प्रत्येक पारी 5.30 घंटे)
04 अप्रैल	रामनवमी (अवकाश–उत्सव)
09 अप्रैल	महावीर जयन्ती, अहिंसा दिवस (अवकाश–उत्सव)
13 से 25 अप्रैल	वार्षिक परीक्षा का आयोजन
14 अप्रैल	डॉ0 बी. आर. अम्बेडकर जयन्ती (अवकाश–उत्सव) एवं गुड–फ्राईडे(अवकाश)
26 अप्रैल	विद्यालय में आगामी सत्र हेतु प्रवेश प्रक्रिया का आरम्भ एवं नामांकन हेतु विद्यार्थियों के चिह्नीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ।
29 अप्रैल	वार्षिक परीक्षा परिणाम की घोषणा तथा परीक्षा परिणामों की प्रति संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को समीक्षा हेतु प्रेषित करना। संस्था प्रधान द्वारा स्टाफ की बैठक लेकर सत्रपर्यन्त हुए कार्यों की समीक्षा करना एवं आगामी सत्र की विद्यालय योजना हेतु विचार–विमर्श कर निर्णय लेना तथा योजना संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करना। SDMC की साधारण सभा का आयोजन एवं करणीय कार्यों के संबंध में प्रस्ताव पारित करना।

शिविरा पंचांग : मई, 2017

रविवार		7	14	21	28
सोमवार	1	8	15	22	29
मंगलवार	2	9	16	23	30
बुधवार	3	10	17	24	31
गुरूवार	4	11	18	25	
शुक्रवार	5	12	19	26	
शनिवार	6	13	20	27	
कार्य दिवस 08	रविवार 04		अवकाश 19		उत्सव 02

1 मई	नवीन सत्र : 2017–18 प्रारम्भ
1 से 09 मई	प्रवेशोत्सव – प्रथम चरण का आयोजन
7 मई	रवीन्द्र नाथ टैगोर जयन्ती (उत्सव)
6 से 8 मई	पूरक परीक्षा का आयोजन
09 मई	पूरक परीक्षा परिणाम की घोषणा एवं प्रगति–पत्र का वितरण
10 मई से 19 जून	ग्रीष्मावकाश
28 मई	महाराणा प्रताप जयन्ती (अवकाश उत्सव)
नोट :–	1. संस्था प्रधान ग्रीष्मावकाश में मुख्यालय से बाहर हो, तो वह विद्यार्थियों को टी0सी0 जारी करने हेतु मुख्यालय पर रहने वाले वरिष्ठतम शिक्षक को टी0सी0 पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत करावें तथा इसका अनुमोदन संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी से कराकर संबंधित को पाबन्द करें, ताकि विद्यार्थियों को टी0सी0 प्राप्त करने में कोई असुविधा न हों। 2. राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा'– द्वितीय स्तर (कक्षा–8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु) का आयोजन । 3. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा विद्यार्थियों के लिए सृजनात्मक प्रतियोगिता का राज्य स्तरीय आयोजन

शिविरा पंचांग : जून, 2017

रविवार		4	11	18	25
सोमवार		5	12	19	26
मंगलवार		6	13	20	27
बुधवार		7	14	21	28
गुरूवार	1	8	15	22	29
शुक्रवार	2	9	16	23	30
शनिवार	3	10	17	24	
कार्य दिवस 09	रविवार 04		अवकाश 17	उत्सव 01	

1 से 19 जून	ग्रीष्मावकाश
20 जून	ग्रीष्मावकाश उपरांत शिक्षण कार्य पुनः प्रारम्भ
20 से 30 जून	प्रवेशोत्सव–द्वितीय चरण का आयोजन
21 जून	अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस (उत्सव)
26 जून	ईदुल फितर (अवकाश– चन्द्र दर्शनानुसार)
28 जून	भामाशाह जयन्ती (राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह)

नोटः–

SDMC की कार्यकारिणी समिति की बैठक का आयोजन (यथासम्भव अमावस्या तिथि को) एवं सत्रपर्यन्त कार्य योजना का अनुमोदन।